राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुन्झुनू

क्रमांक :– 12992 दिनांक :–07.03.2024

विज्ञप्ति संख्या–01/2024

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है–

रिक्त पदो हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नामः–

परियोजना	रिक्त पद का विवरण
झुन्झुनू	सहायिका – जाखड़ों का बास, रैबारियों की ढाणी (बुडाना), जयपहाड़ी–1, इण्डाली–1, खतेहपुरा
सूरजगढ	सहायिका – रूपपुरा, घरडू की ढाणी (घरडू), स्वामियों की ढाणी (लीखवा), ढंढारिया, देवरोड़–2
बुहाना	सहायिका– ढाणी बराला (मैनाना), सांवल की ढाणी (लाम्बी जाट), लाडी का बास (भैंसावता कलां)
उदयपुरवाटी	सहायिका– भोड़की–10 श्योराणी बालाजी (डूडीनगर), नांगल–5 भाटांवाली ढाणी (कोट), देवीसिंह वाला (पापड़ा कलां), ककराना–7 (दीपपुरा), उदयपुरवाटी वार्ड न. 15
नवलगढ	सहायिका – टोंक ढाकां की ढाणी , मीलों का बास (मील नगर)
खेतडी	सहायिका– ढाणी चमारान (तातीजा) अनु. जाति हेतु आरक्षित, ढाणी नौलखा (सेफरागुवार), मांगलिया की ढाणी (बांसियाल)
चिड़ावा	सहायिका – अम्बेडकर बस्ती (मालीगांव) अनु.जाति हेतु आरक्षित, भवानीपुरा, तारा का बास, बाघपुरा
अलसीसर	सहायिका – राहड़ों का बास, अशोक नगर, रामसिंहपुरा, भारू का बास

1. ग्रामीण क्षेत्र मे महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षे.त्र मे सम्बन्धित आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिऐ यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है, तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र आवेदन करते समय ही देना होगा।
4. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18–35 वर्ष होनी चाहिऐ। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा की कार्यकर्ता/सहायिका सेवा में कार्यरत रहते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करती है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
5. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
6. विधवा हेतु प्रमाण–पत्र के रूप मे पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. तलाकशुदा की स्थिति मे सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
8. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
11. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षंण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।

(बिजेन्द्र सिह राठौड़)

13. जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
14. आवेदन फार्म संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः दिनांक 08.04..2024 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
15. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
16. इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 तथा परिपत्र क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 से प्राप्त की जा सकती है।
17. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(बिजेन्द्र सिंह राठौड़)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
झुन्झुनू (राज0)

क्रमांक :– 12993–13028 **दिनांक :–07.03.2024**

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, झुन्झुनूं।
3. श्रीमान निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति **दो** (2) राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में DIPR दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावें।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू।
5. श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी, झुन्झुनूं।
6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला झुन्झुनूं।
7. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुन्झुनू।
9. आयुक्त नगर परिषद, जिला झुन्झुनू।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त जिला झुन्झुनू। ।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा में उक्त रिक्त पदो के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें । साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
झुन्झुनू (राज0)